संचिका सं0–3/एम0–24/2016सा0प्र0 11921

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
बिहार, पटना।

प्रेषक,

अनिल कुमार
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 01/9/2016

विषयः– सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रकरण के कालबाधित होने के लिए दोषी सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रकरण पर विचार के क्रम में कार्रवाई के विभिन्न चरणों के लिए समय–सीमा का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या– 2178 दिनांक– 28.02.2007 तथा परिपत्र संख्या– 2763 दिनांक– 26.02.2014 द्वारा किया गया है। साथ ही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) में सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने से संबंधित विस्तृत प्रावधान किये गये हैं।

2. उपर्युक्त प्रावधानों के होते हुए भी सरकार के समक्ष ऐसे दृष्टांत आये हैं कि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोप प्रतिवेदित होने पर उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने, स्पष्टीकरण पर आरोप प्रतिवेदित करने वाले प्राधिकार का मंतव्य प्राप्त करने तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन का निर्णय लिये जाने में अतिशय विलम्ब होने तथा इस बीच आरोपित सरकारी सेवक के सेवा निवृत्त हो जाने के फलस्वरूप कतिपय मामलों में बिहार पेंशन नियामवली के प्रावधानों के तहत विचाराधीन आरोप प्रकरण कालबाधित हो जाता है जिसका अनुचित लाभ आरोपित सरकारी सेवक को प्राप्त होता है।

3. अतः सम्यक् विचारोपरांत निदेश दिया जाता है कि आरोपित सरकारी सेवक के सेवारत रहते ही आरोप प्रकरण के कालबद्ध निष्पादन एवं उसे तार्किक परिणति

तक पहुँचाने हेतु उपर्युक्त वर्णित परिपत्रों में निर्धारित समय–सीमा का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

यदि किसी सरकारी सेवक के सेवा निवृत्त होने के फलस्वरूप उसके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रकरण बिहार पेंशन नियमावली के प्रावधानों के तहत कालबाधित होता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग/कार्यालय में संचिका उपस्थापन अथवा निर्णय लिये जाने के क्रम में हुए अनावश्यक विलम्ब के लिए दोषी सरकारी सेवकों को चिह्नित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

(अनिल कुमार)
सरकार के विशेष सचिव,